न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम0पी0 वाद संख्या–346/2019

प्रथम पक्ष :–1. खिरोध प्रसाद चौधरी पिता स्व0 हरीपद चौधरी 2. भोलानाथ चौधरी पिता खिरोध चौधरी 3. विष्णु चौधरी 4. बिंदुशंकर चौधरी दोनों पिता सतीश चौधरी 5. करुण प्रसाद चौधरी 6. सुधीर चौधरी 7. राजेश चौधरी 8. संजय चौधरी चारो पिता कृष्णा प्रसाद चौधरी सभी सा0 बलियागौड़ा गोपीडीह थाना –चास (मु0) जिला–बोकारो।

–: बनाम् :–

द्वितीय पक्ष :–1. श्यामप्रसाद चौधरी पिता स्व0 प्रणयन चौधरी 2. विनय चौधरी पिता श्यामप्रसाद चौधरी 3. नरेश चौधरी 4. सुनिल चौधरी दोनो पिता द्वारिका प्रसाद चौधरी 5. नरेन्द्र प्रसाद चौधरी पिता स्व0 अमूल्य रतन चौधरी 6. सुजित चौधरी पिता नरेन्द्र प्रसाद चौधरी सभी सा0 बलियागौड़ा गोपीडीह थाना –चास (मु0) जिला–बोकारो।

कार्यवाही

थाना प्रभारी चास (मु0) के अप्राथमिकी संख्या–09/2019 जो पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चास (मु0)के माध्यम से अग्रसारित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरूद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति–व्यवस्था बनाया जा सके।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम का नाम	पुलिस थाना का नाम संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
गोपीडीह	चास(मु0)	07	16	33 डी0
		07	17	34 डी

चौहद्दी

उत्तरः– जगत चंद्र चौधरी, शंकर चौधरी, बहादुर चौधरी एवं अरुण चंद्र चौधरी की परती जमीन।
दक्षिण :– अरुण चंद्र चौधरी, धीरेन चंद्र चौधरी,विश्वनाथ चौधरी वगैरह का नीज पक्का मकान।
पूरबः– कालीपद चौधरी का परती जमीन।
पश्चिमः– मुख्य सड़क से होते हुए दुर्गा पुर की ओर जाने वाली पी0 सी0 सी0 सड़क ।

अतः सम्यक विचारोपरान्त द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 7/11/19 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण–पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष्य कर दिया जाय।

23/10/19

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

4/11/19 उभय पक्ष को सूचना निबंधित डाक से भेजा गया।
द्वि० पक्ष के क्र० 1 एवं 6 का हाजरी है
S/C हेतु समय का आवेदन है
प्रथम पक्ष के चार सदस्य का हाजरी है S/C हेतु समय का आवेदन है।
दिनांक 21/11/19 को रखें

S.D.M
Chas

21/11/19 द्वि० पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है
S/C हेतु समय का आवेदन है
प्रथम पक्ष के दो सदस्य का हाजरी है
S/C हेतु समय का आवेदन है।
दिनांक 3/12/19 को रखें

S.D.M
Chas

3/12/19 द्वि० पक्ष के हाजरी है
S/C हेतु समय का आवेदन है
प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है.
दिनांक 19/12/19 को रखें

S.D.M
Chas

19/12/19 द्वि० पक्ष के क्र० एक का हाजरी है
S/C हेतु समय का आवेदन है पुनः क्र० 2, 3
का हाजरी है S/C हेतु समय का आवेदन है
प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है
S/C हेतु समय का आवेदन है
. दिनांक 20/12/19 को रखें

S.D.M
Chas

फार्म सं० 560

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	द्वि० पक्ष के हाजरी है तथा S.L. दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष के हाजरी है। दिनांक 3/1/20 को रखें S.D.M Chas	
3/1/20	प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है। द्वि० पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है। प्रथम पक्ष की ओर से वाद की कार्यवाही समाप्त करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। दिनांक 4/1/20 को रखें S.D.M Chas	
4/1/2020	प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है द्वि० पक्ष के हाजरी है। The restrictions U/S 144 is uplifted w.e.f. 60 days from 23/10/19. Sd/- 4/1/20	

Digitally signed by PRANJAL DHANDA
Date: 2025.09.06 12.17.38 +05:30
Location: 192.168.1.3